HINDUSTAN TIMES, Delhi, 12.4.2025
Page No. 21, Size:(9.13)cms X (14.21)cms.

NHRC takes action for difficulties of prisoners

NHRC has taken suo moto cognisance of the various difficulties being faced by the prisoners, including the women inmates and their children, in the jails across the country. These include overcrowding, a lack of basic amenities and healthcare facilities in jails. The issues have been brought to its notice by its Special Monitors and Rapporteurs, through their reports after visiting various jails. The Commission has issued notices to the Chief Secretaries of all the States and Union Territories to submit a report regarding the same.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PRABHAT KHABAR, Ranchi, 12.4.2025
Page No. 17, Size:(18.39)cms X (16.23)cms.

गिरिडीह : मानवाधिकार आयोग की टीम ने आगजनी और पत्थरबाजी की घटना की जांच की

खोरीमहुआ. नयी दिल्ली और रांची से चार सदस्यीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने होली के दिन घोड़थंभा में हुई आगजनी और पत्थरबाजी की घटना की जांच शुक्रवार को की. टीम में सहायक रजिस्ट्रार गौतम कुमार, इंस्पेक्टर यति प्रकाश समेत अन्य थे. टीम ने आवेदकों समेत दोनों समुदायों के प्रबुद्ध लोगों से घटना की जानकारी ली. घटना के बाद लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी. इसके आलोक में टीम पहुंची और शिकायतकर्ताओं तथा बाजार क्षेत्र के लोगों के बयान को कलमबद्ध किया. आयोग की टीम पूर्वाह्न 11:30 बजे वहां पहुंची और घटनास्थल की जांच की. एसडीएम अनिमेष रंजन ने आगजनी तथा पथराव के स्थल को दिखाते हुए घटनाक्रम की जानकारी दी. इसके बाद टीम एसडीएम, एसडीपीओ व एलआरडीसी के साथ डुमरडीहा पंचायत सचिवालय पहुंची. यहां टीम ने राजनीतिक पार्टी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा घटना के पीड़ित लोगों से मुलाकात की. लगभग तीन घंटे तक लोगों से घटना की जानकारी ली. इसके बाद अनुमंडल कार्यालय खोरीमहुआ में टीम ने एसडीएम सहित पुलिस कर्मियों से पूछताछ की. जांच के संबंध में टीम के सदस्य व अनुमंडल के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Bhopal, 12.4.2025
Page No. 7, Size:(22.19)cms X (18.85)cms.

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्राथमिक रिपोर्ट

अफसरों की नीयत ठीक नहीं थी, सात मौत के लिए वे ही जिम्मेदार

दमोह के मिशन अस्पताल में 3 दिन जांच कर लौटी टीम

भास्कर न्यूज़ | दमोह

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने मिशन अस्पताल में फर्जी कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम द्वारा इलाज के दौरान 7 लोगों की मौत के मामले में लापरवाही के लिए जिला प्रशासन के अफसरों को जिम्मेदार माना है। तीन दिन तक दमोह में मामले की जांच करके दिल्ली लौटी आयोग की टीम की प्राथमिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। आयोग इस को लेकर नाराज है कि जब 20 फरवरी को शिकायत हुई तो 6 अप्रैल को आनन-फानन में एफआईआर क्यों कराई गई। इधर सीएमएचओ कार्यालय ने मिशन अस्पताल की डायलिसिस यूनिट का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बताया कि अभी उन्हें प्राथमिक रिपोर्ट मिली है, जिसमें मिशन अस्पताल की गंभीर लापरवाही मिली है और जिला प्रशासन नीयत साफ नहीं दिखी। अस्पताल में मरे लोगों के लिए अफसर ही जिम्मेदार हैं। उन्हें इस अस्पताल को बंद कर देना चाहिए था। उधर, दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने कहा, अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी।

नरेंद्र जॉन

सूटकेस में मिली अनेक सीलें

फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को 7 अप्रैल को पुलिस प्रयागराज के ओमेक्स आनंदा अपार्टमेंट के 511 नंबर फ्लैट से पकड़कर लाई थी। एक टीम दोबारा प्रयागराज आरोपी के फ्लैट पर भेजी गई। यहां एक सूटकेस में नकली दस्तावेज मिले। इनमें अनेक सीलें हैं और फर्जी दस्तावेज भी। आधार कॉर्ड, पासपोर्ट भी शामिल हैं।

Millennium Post

National Forensic Sciences University to organise AIFSS on criminal laws and combating terrorism

https://www.millenniumpost.in/nation/national-forensic-sciences-university-to-organise-aifss-on-criminal-laws-and-combating-terrorism-606245

12 April 2025

NEW DELHI: The National Forensic Sciences University (NFSU), in association with the Ministry of Home Affairs, Government of India, will host the All-India Forensic Science Summit (AIFSS) on April 14-15 in New Delhi.

The summit, with the theme “The Role of Forensic Science in Effective Implementation of New Criminal Laws and Combating Terrorism,” will see the presence of more than 1,600 experts, including judges, law enforcement officials, researchers, students, and industry experts. Union Home minister Amit Shah will take the honour of inaugurating the summit as the chief guest, while Justice Rajesh Bindal, Judge, Supreme Court of India; R. Venkataramani, Attorney General of India; Justice V. Ramasubramanian, Chairperson, NHRC; Manan Kumar Mishra, Chairman, Bar Council of India; and Govind Mohan, Union Home Secretary, will address the event’s inaugural ceremony.

Jagran

NFSU To Organise All India Forensic Science Summit At Vigyan Bhawan; Amit Shah To Inaugurate

On April 13, 2025, two events will be held simultaneously at Vigyan Bhawan – Film Forensics Symposium and Forensic Hackathon. Padma Shri Awardee Hema Malini, Member of Parliament, will be the Chief Guest, and Prasoon Joshi, Chairperson Central Board of Film Certification, Bollywood Star Suniel Shetty, Actor Sharad Kelkar, and Narendra Gupta will be the Special Guests of the Symposium.

https://english.jagran.com/india/nfsu-to-organise-all-india-forensic-science-summit-at-vigyan-bhawan-amit-shah-to-inaugurate-10229853

By JE News Desk | Published: Fri, 11 Apr 2025 06:21 PM (IST)

Source:JNM

National Forensic Sciences University, under the aegis of the Ministry of Home Affairs, Government of India, is organising the All-India Forensic Science Summit (AIFSS) on 'The Role of Forensic Science in Effective Implementation of New Criminal Laws and Combating Terrorism' from April 14 to 15, 2025, at Vigyan Bhawan, Delhi.

Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation, Government of India, Amit Shah, will inaugurate the Summit as a Chief Guest. Justice Rajesh Bindal, Judge Supreme Court of India; R Venkataramani, Attorney General of India; Justice V Ramasubramanian, Chairperson **NHRC**; Manan Kumar Mishra, Chairman Bar Council of India and Govind Mohan, Union Home Secretary will grace the Summit Inauguration Ceremony.

On April 13, 2025, two events will be held simultaneously at Vigyan Bhawan – Film Forensics Symposium and Forensic Hackathon. Padma Shri Awardee Hema Malini, Member of Parliament, will be the Chief Guest, and Prasoon Joshi, Chairperson Central Board of Film Certification, Bollywood Star Suniel Shetty, Actor Sharad Kelkar, and Narendra Gupta will be the Special Guests of the Symposium.

Padma Shri Awardee Dr JM Vyas, Vice Chancellor of NFSU, emphasized the need to bridge Silver Screen with Forensic Science to optimize criminal investigations and justice using the power of cinema through the World's First "Film Forensics Symposium".

The Hackathon will bring together experts in forensic sciences, cybersecurity, and related domains, while the Film Forensics symposium will showcase forensic research and crime investigation through compelling, scientifically accurate stories. The summit will host over 1,600 experts, including judges, law enforcement officials, researchers, students, and industry specialists.

Dr Vyas further said that the three-day events aim to revolutionise the criminal justice delivery ecosystem, bringing together multi-stakeholder perspectives to tackle challenges and explore forensic science and judicial systems breakthroughs.

Through dynamic panel discussions and technical sessions, the event will spotlight the vital role of scientific evidence in boosting conviction rates and fortifying legal frameworks, paving the way for a more efficient and equitable justice system.

Hindustan

अंग्रेजों के जमाने जैसी ही है आज भी भारत के जेलों की हालत

https://www.livehindustan.com/national/tahawwur-rana-is-making-ifs-and-buts-not-answering-questions-why-was-the-interrogation-done-for-only-3-hours-201744385950545.html

11 अप्रैल 2025

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कहा कि भारत की जेलें अंग्रेजों के जमाने की तरह हैं, जहां 80% कैदी विचाराधीन हैं। एनएचआरसी ने जेलों में महिलाओं की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई...

पूर्व आईपीएस अधिकारी भी मानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह कैदियों को जेल में रखा जाता था वह भारत की जेलों में आज भी जारी है.जेल में 80 फीसदी विचाराधीन कैदी हैं, और इनकी वजह से वहां भारी भीड़ है.राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने देश भर की जेलों में बंद कैदियों की दिक्कतों का खुद संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है.आयोग ने एक बयान में कहा है कि जेलों में बंद कैदियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर महिला कैदियों को.आयोग ने जेलों की जिन प्रमुख समस्याओं को नोटिस किया है उनमें जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना, जेलों में बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव शामिल है.अधिकारियों की ऐसी लापरवाही तीन साल जेल में रहा शख्स राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने बयान में कहा है, "देश भर की विभिन्न जेलों का दौरा करने के बाद तैयार रिपोर्ट और शिकायतों के माध्यम से इन मुद्दों को आयोग के संज्ञान में लाया गया है"इसके बाद आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उनसे चार हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है.आयोग ने ये भी बताया है कि जो रिपोर्ट सौंपी जाए उसमें किन बातों का जिक्र होना चाहिए.महिला कैदियों की स्थितिआयोग ने राज्यों से जो जानकारी मांगी है उनमें राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या बताने को कहा है.इसके साथ ही बच्चों के साथ रहने वाली महिला कैदियों की संख्या भी मांगी गई है.आयोग ने दोषी और विचाराधीन महिला कैदियों की संख्या भी मांगी है यानी जिन्हें अभी सजा नहीं मिली है, सिर्फ ट्रायल चल रहा है.इसके अलावा उन विचाराधीन महिला और पुरुष कैदियों का भी आयोग ने ब्योरा मांगा है जो एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं.आयोग ने महिला कैदियों के सम्मान और सुरक्षा के अधिकारों के उल्लंघन, उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण मानसिक तनाव, पर्याप्त शौचालयों का अभाव, सैनिटरी नैपकिन और स्वच्छ पेयजल सुविधाओं जैसी बुनियादी जरूरतों के पूरा नहीं होने पर चिंता जताई है.

जाति के आधारा पर जेल में काम का बंटवारा असंवैधानिकः सुप्रीम कोर्टआयोग ने अपने बयान में जेलों में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया है जिसकी वजह स कुपोषण होता है, खासकर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली मांओं के मामलों में.इसके अलावा महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की शिक्षा, कैदियों को मिलने वाली कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास जैसे मामलों में भी चिंता जताई गई है.भारत में जेलों की स्थितिकरीब दो साल पहले संसद में गृह मामलों की स्थायी समिति ने "जेल-स्थितियां, बुनियादी ढांचा और सुधार" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों पर चिंता जताई गई थी.समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश भर की जेलों में कैदियों की

औसत दर 130 फीसदी है.यानी यदि जेल की क्षमता सौ कैदियों की है तो वहां 130 कैदी रह रहे हैं.रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्लीऔर मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों की जेलों में भारत के आधे से ज्यादा कैदी बंद हैं.समिति ने ज्यादा भीड़भाड़ वाली जेलों से कैदियों को उसी राज्य के भीतर या दूसरे राज्यों की जेलों में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी.समिति ने भी उन मुद्दों पर सवाल उठाए थे जिन पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है.इसके अलावा समिति ने जेल कर्मचारियों की कमी और जेल की नौकरियों में महिलाओं की कम संख्या पर भी सवाल उठाए थे और सिफारिश की थी कि खाली पदों को तीन महीने के भीतर भरा जाना चाहिए.यूपी में वरिष्ठ पदों पर रह चुके आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को पुलिस विभाग में व्याप्त खामियों को उजागर करने की वजह से कुछ साल पहले जबरन रिटायर कर दिया गया था.अमिताभ ठाकुर आईजी रूल्स एंड मैन्युअल्स के पद पर रह चुके हैं.रिटायर करने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था जिसकी वजह से वो कई दिनों तक जेल में भी रहे.

डीडब्ल्यू से बातचीत में अमिताभ ठाकुर कहते हैं कि उनके पास एक अफसर और कैदी, दोनों के अनुभव हैं.असली समस्या कहां है?पहले उन्होंने एक अफसर के अनुभव को साझा किया.अमिताभ ठाकुर कहते हैं, "क्षमता से ज्यादा कैदी तो सबसे बड़ी समस्या है ही.जेल मैन्युअल में कैदियों की संख्या को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि किसी जेल में कितने अधिकतम कैदी रहेंगे.संख्या का निर्धारण क्यों और कैसे होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है"अमिताभ ठाकुर आगे कहते हैं, "दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी न्यायिक व्यवस्था में है जिसकी वजह से विचाराधीन कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा है.विचाराधीन कैदी पूरी दुनिया में कहीं भी इतने ज्यादा नहीं हैं.हमारे यहां तो जेलों में करीब अस्सी फीसदी विचाराधीन कैदी ही हैं जबकि तमाम देशों में यह संख्या शून्य है.इस पर न्यायालयों को विचार करने की जरूरत है"जेलों में बढ़ती भीड़ पर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार चिंता जता चुका है.नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2021 तक भारतीय जेलों में कुल 5,54,034 कैदी थे लेकिन इनमें से महज 22 फीसद कैदी ही ऐसे थे जिन्हें अदालतों ने दोषी साबित किया था और वो उसकी सजा काट रहे थे.बाकी कैदी विचाराधीन थे.इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के आंकड़ों के मुताबिक देश भर की निचली अदालतों में चार करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं और इनमें से ज्यादातर मामले ऐसे हैं जो एक साल से ज्यादा पुराने हैं.

सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक सिंह कहते हैं कि जेलों में इतनी ज्यादा संख्या में विचाराधीन कैदियों का होना ना केवल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कामकाज पर सवाल उठाता है बल्कि जेलों में बंद कैदियों के लिए अमानवीय स्थिति भी पैदा करता है.जेलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए भी एक कारण क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना है.भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा हैअमिताभ ठाकुर कहते हैं, "मेरा अनुभव यह है कि जेल मैन्युअल में जो बातें कही भी गई हैं, उनके दोबारा मूल्यांकन की जरूरत है.खाना तो खराब नहीं है लेकिन अन्य बुनियादी सुविधाओं की बहुत कमी है"अमिताभ ठाकुर ने कहा कि अनुच्छेद 19 के मुताबिक, जीवन जीने का अधिकार कैदियों को भी है, "लेकिन जेल के अफसर और कर्मचारियों को ऐसा नहीं लगता है.जेल को लगता है कि हम खाना दे रहे हैं यही बहुत है.इन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है.जबकि जेल में रहने वाले व्यक्ति को जेल के भीतर बेहतर जीवन सुनिश्चित कराना सरकार की जिम्मेदारी है.उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "सच्चाई ये है कि कागज पर जो दे भी रहे हैं, उनमें भ्रष्टाचार और बंदरबांट हो रही है"अमिताभ ठाकुर के मुताबिक, "सुविधाओं का 60-70 फीसदी हिस्सा तो भ्रष्टाचार में चला जा रहा है.कैदियों से उगाही अलग से हो रही है.नहीं देने पर उनके साथ मार-पीट करना आम बात है

कुल मिलाकर यह जेल की संस्कृति बन गई है"अमिताभ ठाकुर कहते हैं, "मैं जब लखनऊ जेल में बंद था तब मैंने जवाहर लाल नेहरू के लखनऊ जेल के अनुभव के बारे में पढ़ा था.नेहरू ने जेल के अपने जो अनुभव लिखे थे, उन्हें पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने अनुभव बयां कर रहा हूं, यानी तब से लेकर अब तक जेल के सिस्टम और जेल के अफसरों के रवैये में कोई बदलाव नहीं है".

LatestLY

अंग्रेजों के जमाने जैसी ही है आज भी भारत के जेलों की हालत

पूर्व आईपीएस अधिकारी भी मानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह कैदियों को जेल में रखा जाता था वह भारत की जेलों में आज भी जारी है.

https://hindi.latestly.com/india/the-condition-of-indias-jails-is-still-the-same-as-the-british-era-2572885.html

देश Deutsche Welle| Apr 11, 2025 07:30 PM IST

पूर्व आईपीएस अधिकारी भी मानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह कैदियों को जेल में रखा जाता था वह भारत की जेलों में आज भी जारी है. जेल में 80 फीसदी विचाराधीन कैदी हैं, और इनकी वजह से वहां भारी भीड़ है.राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने देश भर की जेलों में बंद कैदियों की दिक्कतों का खुद संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है. आयोग ने एक बयान में कहा है कि जेलों में बंद कैदियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर महिला कैदियों को. आयोग ने जेलों की जिन प्रमुख समस्याओं को नोटिस किया है उनमें जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना, जेलों में बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव शामिल है.

अधिकारियों की ऐसी लापरवाही तीन साल जेल में रहा शख्स

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने बयान में कहा है, "देश भर की विभिन्न जेलों का दौरा करने के बाद तैयार रिपोर्ट और शिकायतों के माध्यम से इन मुद्दों को आयोग के संज्ञान में लाया गया है."

इसके बाद आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उनसे चार हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने ये भी बताया है कि जो रिपोर्ट सौंपी जाए उसमें किन बातों का जिक्र होना चाहिए.

महिला कैदियों की स्थिति

आयोग ने राज्यों से जो जानकारी मांगी है उनमें राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या बताने को कहा है. इसके साथ ही बच्चों के साथ रहने वाली महिला कैदियों की संख्या भी मांगी गई है. आयोग ने दोषी और विचाराधीन महिला कैदियों की संख्या भी मांगी है यानी जिन्हें अभी सजा नहीं मिली है, सिर्फ ट्रायल चल रहा है. इसके अलावा उन विचाराधीन महिला और पुरुष कैदियों का भी आयोग ने ब्योरा मांगा है जो एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं.

आयोग ने महिला कैदियों के सम्मान और सुरक्षा के अधिकारों के उल्लंघन, उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण मानसिक तनाव, पर्याप्त शौचालयों का अभाव, सैनिटरी नैपकिन और स्वच्छ पेयजल सुविधाओं जैसी बुनियादी जरूरतों के पूरा नहीं होने पर चिंता जताई है.

जाति के आधारा पर जेल में काम का बंटवारा असंवैधानिकः सुप्रीम कोर्ट

आयोग ने अपने बयान में जेलों में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया है जिसकी वजह स कुपोषण होता है, खासकर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली मांओं के मामलों में. इसके अलावा महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की शिक्षा, कैदियों को मिलने वाली कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास जैसे मामलों में भी चिंता जताई गई है.

भारत में जेलों की स्थिति

करीब दो साल पहले संसद में गृह मामलों की स्थायी समिति ने 'जेल-स्थितियां, बुनियादी ढांचा और सुधार' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों पर चिंता जताई गई थी.

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश भर की जेलों में कैदियों की औसत दर 130 फीसदी है. यानी यदि जेल की क्षमता सौ कैदियों की है तो वहां 130 कैदी रह रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्लीऔर मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों की जेलों में भारत के आधे से ज्यादा कैदी बंद हैं.

समिति ने ज्यादा भीड़भाड़ वाली जेलों से कैदियों को उसी राज्य के भीतर या दूसरे राज्यों की जेलों में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी.

समिति ने भी उन मुद्दों पर सवाल उठाए थे जिन पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. इसके अलावा समिति ने जेल कर्मचारियों की कमी और जेल की नौकरियों में महिलाओं की कम संख्या पर भी सवाल उठाए थे और सिफारिश की थी कि खाली पदों को तीन महीने के भीतर भरा जाना चाहिए.

यूपी में वरिष्ठ पदों पर रह चुके आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को पुलिस विभाग में व्याप्त खामियों को उजागर करने की वजह से कुछ साल पहले जबरन रिटायर कर दिया गया था. अमिताभ ठाकुर आईजी रूल्स एंड मैन्युअल्स के पद पर रह चुके हैं. रिटायर करने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था जिसकी वजह से वो कई दिनों तक जेल में भी रहे. डीडब्ल्यू से बातचीत में अमिताभ ठाकुर कहते हैं कि उनके पास एक अफसर और कैदी, दोनों के अनुभव हैं.

असली समस्या कहां है?

पहले उन्होंने एक अफसर के अनुभव को साझा किया. अमिताभ ठाकुर कहते हैं, "क्षमता से ज्यादा कैदी तो सबसे बड़ी समस्या है ही. जेल मैन्युअल में कैदियों की संख्या को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि किसी जेल में कितने अधिकतम कैदी रहेंगे. संख्या का निर्धारण क्यों और कैसे होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है."

अमिताभ ठाकुर आगे कहते हैं, "दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी न्यायिक व्यवस्था में है जिसकी वजह से विचाराधीन कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा है. विचाराधीन कैदी पूरी दुनिया में कहीं भी इतने ज्यादा नहीं हैं. हमारे यहां तो जेलों में करीब अस्सी फीसदी विचाराधीन कैदी ही हैं जबकि तमाम देशों में यह संख्या शून्य है. इस पर न्यायालयों को विचार करने की जरूरत है."

जेलों में बढ़ती भीड़ पर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार चिंता जता चुका है. नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2021 तक भारतीय जेलों में कुल 5,54,034 कैदी थे लेकिन इनमें से महज 22 फीसद कैदी ही ऐसे थे जिन्हें अदालतों ने दोषी साबित किया था और वो उसकी सजा काट रहे थे. बाकी कैदी विचाराधीन थे. इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.

नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के आंकड़ों के मुताबिक देश भर की निचली अदालतों में चार करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं और इनमें से ज्यादातर मामले ऐसे हैं जो एक साल से ज्यादा पुराने हैं.

सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक सिंह कहते हैं कि जेलों में इतनी ज्यादा संख्या में विचाराधीन कैदियों का होना ना केवल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कामकाज पर सवाल उठाता है बल्कि जेलों में बंद कैदियों के लिए अमानवीय स्थिति भी पैदा करता है. जेलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए भी एक कारण क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना है.

भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है

अमिताभ ठाकुर कहते हैं, "मेरा अनुभव यह है कि जेल मैन्युअल में जो बातें कही भी गई हैं, उनके दोबारा मूल्यांकन की जरूरत है. खाना तो खराब नहीं है लेकिन अन्य बुनियादी सुविधाओं की बहुत कमी है."

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि अनुच्छेद 19 के मुताबिक, जीवन जीने का अधिकार कैदियों को भी है, "लेकिन जेल के अफसर और कर्मचारियों को ऐसा नहीं लगता है. जेल को लगता है कि हम खाना दे रहे हैं यही बहुत है. इन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है. जबकि जेल में रहने वाले व्यक्ति को जेल के भीतर बेहतर जीवन सुनिश्चित कराना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "सच्चाई ये है कि कागज पर जो दे भी रहे हैं, उनमें भ्रष्टाचार और बंदरबांट हो रही है."

अमिताभ ठाकुर के मुताबिक, "सुविधाओं का 60-70 फीसदी हिस्सा तो भ्रष्टाचार में चला जा रहा है. कैदियों से उगाही अलग से हो रही है. नहीं देने पर उनके साथ मार-पीट करना आम बात है. कुल मिलाकर यह जेल की संस्कृति बन गई है.”

अमिताभ ठाकुर कहते हैं, "मैं जब लखनऊ जेल में बंद था तब मैंने जवाहर लाल नेहरू के लखनऊ जेल के अनुभव के बारे में पढ़ा था. नेहरू ने जेल के अपने जो अनुभव लिखे थे, उन्हें पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने अनुभव बयां कर रहा हूं, यानी तब से लेकर अब तक जेल के सिस्टम और जेल के अफसरों के रवैये में कोई बदलाव नहीं है.”

Naya Sabera

Mumbai News: डॉ. योगेश दुबे की याचिका का इंपैक्ट | Naya Sabera Network

https://www.nayasabera.com/2025/04/mumbai-news-impact-dr-yogesh-dubeys-petition.html

by Naya Savera Network Published:April 11, 2025

महिला कैदियों और उनके बच्चों की सुविधाओं को लेकर राज्य हुए सक्रिय

नया सवेरा नेटवर्क

मुंबई। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता डॉ योगेश दुबे की याचिका केस क्रमांक– 367/90/0/2025 दाखिल करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश भर की विभिन्न जेलों में महिला कैदियों और उनके बच्चों सहित सभी कैदियों की कठिनाइयों पर संज्ञान लिया है। रिपोर्ट में महिला कैदियों और शिशुओं के साथ रहने वाली महिलाओं, दोषी और विचाराधीन महिला कैदियों, साथ ही एक वर्ष से अधिक समय से जेलों में बंद विचाराधीन महिला और पुरुष कैदियों की संख्या शामिल होनी चाहिए|

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश भर की जेलों में महिला कैदियों और उनके बच्चों सहित सभी कैदियों की विभिन्न कठिनाइयों पर बड़ी कार्यवाही की है। इनमें जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होना, आधारभूत सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव शामिल है| देश भर की विभिन्न जेलों का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट के साथ-साथ शिकायतों के माध्यम से श्री दुबे की रिपोर्ट द्वारा इन मुद्दों को आयोग के संज्ञान में लाया गया है|इस पर विशेष अध्ययन भी किया गया है|जिसमे कई मुद्दों को अहम् रूप से श्री दुबे द्वारा उठाया गया है।

महिला कैदियों की गरिमा और सुरक्षा के अधिकारों का उल्लंघन, उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण मानसिक कष्ट,पर्याप्त शौचालय, सैनिटरी नैपकिन, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं के बिना अस्वास्थ्यकर स्थिति, खराब गुणवत्ता वाला भोजन जिसके कारण विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण, जेलों में उनके साथ रहने वाली महिला कैदियों के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों की कमी, कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सहित उनके कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न होना अन्य चिंताओं में शामिल हैं इसलिए आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके पहले भी डॉ योगेश दुबे द्वारा जेलों में बंद बुजुर्ग कैदियों के लिए विशेष प्रयत्न निरंतर किये गए थे। पूर्व मे भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के दौरान डॉ योगेश दुबे ने उनका ध्यान भारत की जेलों में बंद बुजुर्ग कैदियों की तरफ दिलाते हुए कहा था कि सजा पूरी हो जाने के बावजूद जुर्माना न भरने के कारण अनेक बुजुर्ग कैदी जेलों की सजा काटने के लिए विवश हैं।

उन्होंने ऐसे कैदियों को नियमपूर्वक रिहा किए जाने की अपील की, ताकि वे अपने बचे हुए जीवन को अपने परिवार के साथ बिता सकें। साथ ही उन्होंने दिव्यांग लोगों को और अधिक सशक्तिकरण किए जाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाए जाने की दिशा में उन्हें रोजगार देने तथा सरकारी नौकरियों में उनका आरक्षित कोटा भरने की अपील करते हुए कहा कि अभी भी दिव्यांग जनों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

Times of India

Haryana Human Rights Commission issues order to recognise school for marginalised, emphasises Transgender Persons Act, 2019

Haryana Human Rights Commission supports a transgender educator. The educator faced issues in getting school recognised. The school provides education to underprivileged children in Karnal. Land regulations were the main obstacle. The commission asks for sympathetic review of school's recognition. It cites Transgender Persons Act 2019. The act guarantees equality and dignity. The next hearing is on May 2.

https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/haryana-human-rights-commission-issues-order-to-recognise-school-for-marginalised-emphasises-transgender-persons-act-2019/articleshow/120197907.cms

PTI Apr 11, 2025, 12:41 IST

Haryana Human Rights Commission issues order to recognise school for marginalised, emphasises Transgender Persons Act, 2019

CHANDIGARH: In a significant step towards promoting equality and inclusion in the education sector, the Haryana Human Rights Commission (HHRC) has issued a landmark order, supporting a transgender educator's effort to get his school recognised. According to a statement here on Thursday, the HHRC issued a landmark order in favour of a transgender person and founder of a school in Karnal which was established to provide education to underprivileged children.

The transgender person had filed a grievance regarding the non-recognition of the school, citing land-related regulations as the main obstacle.

The school, founded in the year 2014-15, occupies an area of 800 square metres, while the revised rules mandate a minimum of 1,500 square metres for recognition.

HHRC Chairperson Justice Lalit Batra, along with members Kuldip Jain and Deep Bhatia, in their detailed order dated April 2, emphasised the provisions of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 and Article 14 of the Indian Constitution which guarantee equality and dignity to every citizen

The Commission has called for a sympathetic and inclusive review of the school's recognition status. In its order, the Commission observed that denying recognition solely on the basis of land norms contradicts the spirit of the Transgender Rights Act, 2019. According to various provisions of the Act, the state government is obligated to ensure access to education, self-employment opportunities and non-discriminatory treatment for transgender persons.

The order references the landmark NALSA v. Union of India (2014) Supreme Court verdict and the 2023 advisory of the **National Human Rights Commission** which stress the need to provide equal opportunities to transgender individuals.

The Commission lauded the complainant's efforts to serve the marginalised and urged the government to adopt a practical and inclusive approach.

Section 14 of the Act, 2019, explicitly acknowledges the rights of transgender persons to access opportunities for self-employment and it is obligatory on the part of the "appropriate Government" to formulate welfare schemes and programmes that facilitate and support livelihood for transgender persons, including avenues for self-employment, according to the order.

The inclusion of the term "self-employment" under this section mandates the "appropriate Government" to design schemes and policies that enable economic independence for transgender persons. Therefore, in the light of these provisions, it can be asserted that the "appropriate Government" bears both the responsibility and authority to implement welfare measures aimed at promoting self-employment for transgender persons, the order reads. Section 22 of the Act, 2019, explicitly empowers the "appropriate Government" to frame rules and implement welfare schemes specially aimed at the social, economic and educational upliftment of transgender persons. In light of this provision, it falls within the domain of "appropriate Government" to incorporate specific welfare schemes by extending relaxations for transgender persons under the Haryana School Education Rules, 2003, as amended on April 16, 2021.

Considering the purpose of welfare and inclusion, the "appropriate Government", that is the Government of Haryana, can justifiably introduce exceptions or relaxations in the Rules to facilitate improved educational and self-employment opportunities for transgender persons, according to the order.

"The Directorate of Elementary Education, an establishment of the Government of Haryana, ought to adopt a pragmatic approach, recognising the genuine effort made to uplift marginalised communities, rather than strictly adhering to land norms that may inadvertently hinder such progressive initiatives. Such an approach would not only align with the spirit of the Act of 2019 but also uphold the constitutional mandate of equality and non-discrimination. Recognising the complainant's school would be a step towards justice and an affirmation of the State's commitment to foster an inclusive and equitable society," according to the Commission's order.

Puneet Arora, Officer of Protocol, Information and Public Relations at HHRC, on Thursday said the Additional Chief Secretary, School Education; and the Director of Elementary Education have been directed to appear in person and submit a detailed report on the matter during the next hearing on May 2.

This order not only affirms the rights of the transgender community but also marks a significant step toward building an inclusive and equitable society in Haryana, the statement said.

Hari Bhoomi

स्कूल की मान्यता खतरे में पड़ी: अमेरिका से लौटी किन्नर अदिति मानवाधिकार आयोग पहुंची, शिक्षा विभाग को मिला ये आदेश

हरियाणा के करनाल में किन्नर अदिति ने अमेरिका से लौटकर एक ऐसा स्कूल बनाया, जिसमें गरीबों के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग ने इस स्कूल की मान्यता को लटका दिया तो यह मामला मानवाधिकार आयोग में पहुंच गया। किन्नरों के अधिकारों का हवाला देते हुए आयोग ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब कर लिया है।

https://www.haribhoomi.com/state-local/haryana/karnal/news/human-rights-commission-transgender-school-was-not-recognized-education-department-officials-were-summoned-79103

Ajay Published: 11 Apr 2025, 05:00 PM IST Last Updated: 11 Apr 2025, 05:39 PM IST

करनाल की ट्रांसजेंडर अदिति अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए।

मानवाधिकार आयोग में गूंजा किन्नर के स्कूल का मामला : हरियाणा के करनाल की ट्रांसजेंडर (किन्नर) अदिति के स्कूल को मान्यता नहीं देने का मामला हरियाणा मानवाधिकार आयोग के पास पहुंच गया है। स्कूल की जगह कम होने की वजह से शिक्षा विभाग ने मान्यता नहीं दी थी। इस पर मानवाधिकार आयोग ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता और गरिमा के अधिकारों का हवाला देते हुए स्कूल की मान्यता पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा है।

आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को 2 मई को उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। किन्नर अदिति 2015 से गरीब परिवार के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रही है।

अमेरिका में भी काम कर चुकीं अदिति, 2015 में खोला स्कूल

दिल्ली निवासी किन्नर अदिति ने बताया कि उन्होंने सर्वे से लेकर अमेरिका तक में काम किया, लेकिन उनका मन हमेशा से शिक्षा में रहा। इसी सोच के साथ 2015 में करनाल में हरियाणा पब्लिक स्कूल की शुरुआत की। पहले तो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने में बहुत हिचक रखते थे, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितयां सामान्य होने लगी। उनके स्कूल में गरीब तबके के 50 से ज्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। बच्चों को प्रोजेक्ट के जरिये भी समझाया जाता है। बेहद कम संसाधनों व बजट में यह स्कूल चल रहा है।

800 वर्गमीटर जगह, होनी चाहिए 1500

अब हरियाणा में निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर सख्ती चल रही है। ऐसे में अदिति के स्कूल पर भी मान्यता नहीं होने की तलवार लटकने लगी। मान्यता नहीं मिलने पर अदिति ने शिकायत संख्या 666/10/2024 मानवाधिकार आयोग में दर्ज करवाई। इसमें उन्होंने भूमि संबंधित मानकों को मान्यता की राह में मुख्य अड़चन बताया। वर्ष 2014-15 में स्थापित यह स्कूल 800 वर्ग मीटर में बना है, जबकि संशोधित नियमों के अनुसार 1500 वर्ग मीटर की आवश्यकता है।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा, दोनों सदस्यों कुलदीप जैन और दीप भाटिया ने अपने विस्तृत आदेश में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता और गरिमा के अधिकारों का हवाला देते हुए स्कूल की मान्यता पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा है।

ट्रांसजेंडर के स्वरोजगार व शिक्षा का दिया हवाला

आयोग ने कहा कि केवल भूमि मानदंड के आधार पर मान्यता न देना अधिनियम, 2019 की भावना के विरुद्ध है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वरोजगार, शिक्षा में पहुंच और भेदभाव रहित व्यवहार सुनिश्चित करे। NALSA बनाम भारत संघ (2014) और **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** (2023) की सिफारिशों का भी हवाला दिया गया। आयोग ने शिकायतकर्ता के समाज सेवा के प्रयासों को सराहते हुए राज्य सरकार से व्यावहारिक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव को 2 मई को तलब किया

आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना व जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि वे 2 मई 2025 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आदेश न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की पुष्टि करता है, बल्कि राज्य के समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

JANTA SE RISHTA, Online, 12.4.2025

Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Janta Se Rishta

छात्रों ने पुलिस के कथित परेशान करने वाले आचरण को लेकर NHRC से संपर्क किया |

https://jantaserishta.com/local/telangana/students-approach-nhrc-over-alleged-harassing-behaviour-of-police-3947743

Payal 11 Apr 2025 2:39 PM

Hyderabad. हैदराबाद: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हैदराबाद विश्वविद्यालय (यूओएच) के छात्रों द्वारा दायर की गई शिकायत पर हैदराबाद पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय भूमि विवाद पर हाल ही में पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। दो छात्रों ने एनएचआरसी से संपर्क किया और आरोप लगाया कि जब छात्र विश्वविद्यालय से जुड़ी भूमि के सही स्वामित्व और उपयोग से संबंधित भूमि विवाद के संबंध में अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए तो पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

कार्यवाही के अनुसार, छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी गई, अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया, बिना किसी पूर्व सूचना या औचित्य के गलत तरीके से हिरासत में लिया गया, जो कानूनी मानदंडों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छात्रों को अपने परिवार या कानूनी सलाहकार से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी गई। इसमें कहा गया, "भय और शत्रुता का माहौल पैदा करने वाली शारीरिक धमकी और जबरदस्ती के मामले सामने आए। इस तरह की कार्रवाई मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है, जिसमें शांतिपूर्ण सभा का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है।" शिकायत की एक प्रति साझा करते हुए, एनएचआरसी ने हैदराबाद पुलिस आयुक्त से चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी और चार सप्ताह बाद मामला पेश करने को कहा।

Hindustan

घोड़थम्बा पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम

https://www.livehindustan.com/jharkhand/gridih/story-human-rights-commission-investigates-communal-violence-in-ghordhamba-post-holi-201744414954093.html

12 अप्रैल 2025

खोरीमहुआ में होली के दिन हुई साम्प्रदायिक हिंसा के 26वें दिन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम घोड़थम्बा पहुंची। टीम ने तीन घंटे तक 25 लोगों से पूछताछ की। 14 मार्च को होली मिलन जुलूस पर असामाजिक...

खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। होली के दिन हुई साम्प्रदायिक हिंसक झड़प के 26वें दिन शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम घोड़थम्बा पहुंची। मानवाधिकार की टीम ने तीन घंटे तक रही और 25 लोगों से पूछताछ की। बतला दें कि होली के दिन घोड़थम्बा के कुबरी जानेवाली सड़क में जुलूस को एक समुदाय के द्वारा रोके जाने के बाद दो समुदायों में हुई हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान दर्जनाधिक वाहनों और दुकानों में आग लगा दी गई थी। लोगों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से इसकी शिकायत की थी। शिकाय के आलोक में 26वें दिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम शुक्रवार को घोड़थम्बा पहुंच कर शिकायतकर्ताओं तथा क्षेत्र के लोगों के बयान को कलमबद्ध किया। इसके पूर्व सुबह से ही अनुमण्डल तथा जिला प्रशासन आयोग की टीम का बेसब्री से इंतजार करते दिखा। वहीं दिल्ली से पहुंचे राष्ट्रीय मानव अधिकार की टीम करीब 11:30 बजे घोड़थम्बा पहुंची और सबसे पहले घटनास्थल की जांच की। इस दौरान खोरीमहुआ एसडीएम अनिमेश रंजन ने आगजनी तथा हुए पथराव के स्थल को दिखाते हुए पूरी घटना क्रम की जानकारी दी। जिसके उपरांत दिल्ली तथा रांची से आये चार सदस्यीय टीम एसडीएम, एसडीपीओ, एलआरडीसी के साथ डुमरडीहा पंचायत सचिवालय पहुंची जहां पूर्व से उपस्थित राजनीतिक पार्टी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा घटना में पीड़ित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान टीम ने लगभग 3 घंटे तक लोगों से एक-एक कर घटना से सम्बन्धित जानकारी ली। जिसके उपरांत अनुमंडल कार्यालय खोरीमहुआ पहुंचे और एसडीएम सहित पुलिसकर्मियों से पूछताछ की।

बता दें कि 14 मार्च होली के दिन होली मिलन जुलूस घोड़थम्बा भ्रमण करते हुए कुबरी रोड में प्रवेश कर रहा था। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जुलूस पर पथराव कर दिया गया। जिसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने आ गए और देखते-देखते आगजनी शुरू हो गई। पेट्रोल बंम व पथराव से घोड़थम्बा बाजार पट गया। जिसमें एक दर्जन से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। जिसके बाद से लगातार प्रशासन सतर्कता बरतते हुए दोनों समुदायों के बीच शांति बहाल करने में जुटी हुई है। वहीं प्रशासन दोनों समुदायों के साथ शांति समिति के लोगों के साथ बैठकें आयोजित कर भाईचारगी का माहौल फिर से बनाने में जुटी हुई है।

इस दौरान जांच टीम के चार सदस्यों के अलावा एसडीएम अनिमेश रंजन, एलआरडीसी सुनील कुमार प्रजापति, एसडीपीओ राजेन्द्र प्रसाद, सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव, बीडीओ देवेंद्र कुमार दास, सीओ गुलजार अंजुम, प्रमुख गौतम सिंह, बीस सूत्री अध्यक्ष सफीक अंसारी, उपप्रमुख असगर अंसारी, जिला परिषद सदस्य सिराज अंसारी, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश साहा, संजय यादव, मुखिया संतोष साव, लालबाजार मुखिया सजरुल अंसारी, गरजासारण मुखिया प्रतिनिधि नसीम रही, कारू पासवान, पूर्व मुखिया बरजो सबदर अली, अखंड हिन्दू एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप योगी, झामुमो प्रखण्ड अध्यक्ष निरंजन सिंह, बसंत भोक्ता, रंजीत कुमार, महेश स्वर्णकार, मंजूर आलम, दिलीप पासवान सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।

PRABHAT KHABAR, Online, 12.4.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Prabhat Khabar

Giridih News : मानवाधिकार आयोग ने की घोड़थंभा में आगजनी व पत्थरबाजी की जांच

https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/giridih/investigation-of-arson-and-stone-pelting-in-ghordhamba/amp

Giridih News : नयी दिल्ली व रांची से आयी मानवाधिकारी आयोग की चार सदस्यीय टीम

By MANOJ KUMAR | April 11, 2025 11:37 PM

Giridih News : नयी दिल्ली व रांची से चार सदस्यीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने होली के दिन घोड़थंभा में हुई आगजनी और पत्थरबाजी की घटना की जांच शुक्रवार को की. टीम में आयोजन के सहायक रजिस्ट्रार गौतम कुमार, इंस्पेक्टर यति प्रकाश समेत अन्य थे. टीम ने घटना संबंध में आवेदकों समेत दोनों समुदायों के प्रबुद्ध लोगों से घटना की जानकारी ली. घटना के बाद लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी. इसके आलोक में टीम पहुंची और शिकायतकर्ताओं तथा बाजार क्षेत्र के लोगों के बयान को कलमबद्ध किया. आयोग की टीम पूर्वाह्न 11:30 बजे वहां पहुंची और घटनास्थल की जांच की. एसडीएम अनिमेष रंजन ने आगजनी तथा पथराव के स्थल को दिखाते हुए घटनाक्रम की जानकारी दी. इसके बाद टीम एसडीएम, एसडीपीओ व एलआरडीसी के साथ डुमरडीहा पंचायत सचिवालय पहुंची. यहां टीम ने राजनीतिक पार्टी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा घटना के पीड़ित लोगों से मुलाकात की. लगभग तीन घंटे तक लोगों से घटना की जानकारी ली. इसके बाद अनुमंडल कार्यालय खोरीमहुआ में टीम ने एसडीएम सहित पुलिस कर्मियों से पूछताछ की. जांच के संबंध में टीम के सदस्य व अनुमंडल के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे.

होली के दिन घटी थी घटना :

मालूम रहे कि 14 मार्च को होली के दिन होली मिलन जुलूस घोड़थंभा भ्रमण करते हुए कुबरी रोड में प्रवेश कर रहा था. इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस पर पथराव कर दिया. इसके बाद दो समुदाय आमने-सामने आ गये. आगजनी, पेट्रोल बम व बोतल से पूरा बाजार पट गया. आधा दर्जन से अधिक वाहनों तथा गुमटियों को भी फूंक दिया गया था. इसके बाद प्रशासन सतर्कता बरतते हुए दोनों समुदायों के बीच शांति बहाल करने में जुटा हुआ है. जांच टीम के सदस्यों के अलावा एसडीएम, एलआरडीसी सुनील कुमार प्रजापति, एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, धनवार के बीडीओ देवेंद्र कुमार दास, सीओ गुलजार अंजुम, प्रमुख गौतम सिंह, बीस सूत्री अध्यक्ष सफिक अंसारी, उपप्रमुख असगर अंसारी, जिप सदस्य सिराज अंसारी, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश साहा, संजय यादव, मुखिया संतोष साव, लाल बाजार के मुखिया सजरुल अंसारी, नसीम राही, कारू पासवान, सबदर अली, प्रदीप योगी, निरंजन सिंह, बसंत भोक्ता, रंजीत कुमार, महेश स्वर्णकार, मंजूर आलम, उप प्रमुख असगर अंसारी, दिलीप पासवान, इम्तियाज अंसारी, नवाब अली आदि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Lagatar.in

सांसद व मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप, दिल्ली में धरना पर बैठे पलामू के जीतेंद्र

https://lagatar.in/mp-and-minister-accused-of-having-disproportionate-assets-jitendra-of-palamu-sits-on-dharna-in-delhi/

by Lagatar News | April 11, 2025

in झारखंड न्यूज़, दक्षिण छोटानागपुर, रांची न्यूज़

Ranchi: पलामू के रहने वाले जितेंद्र कुमार सिंह ने सांसद और मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है. इसकी जांच की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना में बैठ गए हैं. वहां वे सांसद बीडी राम और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की आय की जांच की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि दोनों नेताओं ने मनरेगा में बड़ा घोटाला किया है और आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है.

साला और जीजा की जोड़ी

जितेंद्र कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और पलामू के सांसद बीडी राम दोनों आपस में साला और जीजा हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि इन दोनों के द्वारा मनरेगा में गड़बड़ी की गई है.

पीएम और गृह मंत्री से भी की है शिकायत

जितेंद्र कुमार सिंह ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, गृह मंत्री अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राहुल गांधी और तमाम ऐसी एजेंसी से इन दोनों की शिकायत की है और जांच की मांग की है.

क्या लगाया है आरोप

– झाड़ीलवा आहर मरम्मत्ति कार्य में गड़बड़ी: जितेंद्र कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि सांसद बीडी राम और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने मनरेगा में झाड़ीलवा आहर मरम्मत्ति कार्य में गड़बड़ी की है.

– न्यायालय में लंबित योजना: उन्होंने आरोप लगाया है कि यह योजना न्यायालय में लंबित होने के बावजूद फिर से 16 लाख का तालाब भूमि संरक्षण कर दिया गया है.

– मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी: मनरेगा मजदूरों को 14 वर्ष से अभी तक मजदूरी नहीं मिली है, जिसमें दर्जनभर मनरेगा मजदूरों ने काम किया था और बिना मजदूरी के ही कई लोग मर भी चुके हैं.

Dainik Bhaskar

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्राथमिक रिपोर्ट:अफसरों की नीयत ठीक नहीं थी, सात मौत के लिए वे ही जिम्मेदार

https://www.bhaskar.com/local/mp/damoh/news/preliminary-report-of-the-national-human-rights-commission-134822124.html

दमोह के मिशन अस्पताल में 3 दिन जांच कर लौटी टीम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने मिशन अस्पताल में फर्जी कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम द्वारा इलाज के दौरान 7 लोगों की मौत के मामले में लापरवाही के लिए जिला प्रशासन के अफसरों को जिम्मेदार माना है। तीन दिन तक दमोह में मामले की जांच करके दिल्ली लौटी आयोग की टीम की प्राथमिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है।

आयोग इस काे लेकर नाराज है कि जब 20 फरवरी को शिकायत हुई तो 6 अप्रैल को ऑनन-फानन में एफआईआर क्यों कराई गई। इधर सीएमएचओ कार्यालय ने मिशन अस्पताल की डायलिसिस यूनिट का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बताया कि अभी उन्हें प्राथमिक रिपोर्ट मिली है, जिसमें मिशन अस्पताल की गंभीर लापरवाही मिली है और जिला प्रशासन नीयत साफ नहीं दिखी।

अस्पताल में मरे लोगों के लिए अफसर ही जिम्मेदार हैं। उन्हें इस अस्पताल को बंद कर देना चाहिए था। उधर, दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने कहा, अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी।

सूटकेस में मिली अनेक सीलें

फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को 7 अप्रैल को पुलिस प्रयागराज के ओमेक्स आनंदा अपार्टमेंट के 511 नंबर फ्लैट से पकड़कर लाई थी। एक टीम दोबारा प्रयागराज आरोपी के फ्लैट पर भेजी गई। यहां एक सूटकेस में नकली दस्तावेज मिले। इनमें अनेक सीलें हैं और फर्जी दस्तावेज भी। आधार कॉर्ड, पासपोर्ट भी शामिल हैं।